फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री मेघाराम जाति विश्नोई निवासी मूली बागली पी.एस. झाब तहसील व जिला सांचौर हाल हनुमान होटल वाडेली तहसील व जिला सिरोही।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी, सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 19 **वर्ष 2024**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.03.2024	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना सिरोही सदर के सी. आर. नं. 11 दिनांक 21.01.2024 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का 1400 लीटर पेट्रोल व 800 लीटर डीजल पकडा हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 21.04.2024 को डीएसटी प्रभारी श्री शिवपालसिंह स.उ.नि. ने श्री पारसराम चौधरी, आरपीएस, वृत्ताधिकारी वृत्त सिरोही को सूचना दी कि मण्डार सिरोही राज्य राजमार्ग पर सरहद वाडेली में हनुमान होटल व भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के पीछे हनुमान होटल के संचालक श्री प्रकाश विश्नोई एवं भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के संचालक श्री निखिल पटेल व श्री विक्रमसिंह राजपूत मिलकर संयुक्त रूप से टैंकर चालकों से अवैध पेट्रोल व डीजल लेकर अवैध रूप से बेचने के लिए पेट्रोल व डीजल को प्लास्टिक के ड्रमों में डालकर दोनों होटलों के पीछे के भाग में 07 ड्रमों में अवैध भण्डारण किया गया एवं इनके द्वारा ही अतिरिक्त 4 ड्रम श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र श्री कर्मवीरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडेली के घर के बाड़े के अन्दर दीवार के सहारे अवैध भण्डारण किया हुआ है। हनुमान होटल का संचालक श्री प्रकाश विश्नोई व भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के संचालक हम पुलिस जाब्ता को देखकर मौके से भाग गए है, कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें जहाँ पर डीएसटी प्रभारी श्री शिवपालसिंह स.उ.नि. मय जाब्ता के उपरिथत मिला एवं मौके पर हनुमान होटल एवं भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के पीछे के भाग में 07 ड्रम	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:53 IST
Reason: SelfAttested

Continue......

Scanned with CamScanner

तरल पदार्थ से भरे हुए मिले तथा पास में ही एक कीमा, पांच लीटर का जार तथा प्लास्टिक की नली मिली। ड्रमों में भरे तरल पदार्थ को सूंघने पर 03 ड्रमों में भरे तरल पदार्थ में पेट्रोल व 04 ड्रमों में डीजल जैसी गंध आ रही थी, जिसकी पेट्रोल पम्प के कार्मिक श्री कल्पेश पुत्र श्री सोहनलाल सुआरा, निवासी सिरोही हाल सुरेन्द्र जिनेन्द्र ट्रेडर्स भारत पेट्रोलियम सरहद सिंदरथ को बुलाकर ड्रमों में भरे तरल पदार्थ को चैक करवाया तो 03 ड्रमों में भरा तरल पदार्थ पेट्रोल व 04 ड्रमों में डीजल होना पाया गया। पेट्रोल व डीजल से भरे हुए सभी ड्रम करीब 200–200 लीटर क्षमता के थे। यहां से रवाना होकर सरहद वाडेली में श्री भानुप्रताप पुत्र श्री कर्मवीरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडेली के रहवासी घर पर पहुंचे तो वहां पर घर के वाडे में 04 ड्रम तरल पदार्थ से भरे हुए पाए जिनको पेट्रोल पम्प के कार्मिक श्री कल्पेश पुत्र श्री सोहनलाल सुआरा से चैक करवाया गया तो चारों ड्रमों में पेट्रोल भरा हुआ होना पाया गया। वांछित व्यक्ति श्री प्रकाश कुमार एवं विक्रमसिंह को दस्तयाब कर बाद पूछताछ जुर्म प्रमाणित पाया जाने से श्री प्रकाश कुमार एवं श्री विक्रमसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार अपराध धारा 407, 379, 411 भा.द.सं. का उल्लघंन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भा.द.सं., 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेट्रोल व डीजल के अन्तिरम निस्तारण/सुपुर्दगीनामे पर देने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई व अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी सिरोही मण्डार हाईवे रोड पर ग्राम वाडेली की सरहद में मीरपुर गेट के पास हनुमान होटल के नाम से होटल का व्यवसाय करता है तथा उक्त होटल के पीछे लगती हुई कृषि भूमि को ठेके पर ले रखा है, जिस पर वह कृषि कार्य करता है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में से 1400 लीटर पेट्रोल व 800 [illegible] कब्जे पुलिस लिया गया है। पेट्रोल व डीज[illegible] स्वामित्व का है, जो उसने दिन[illegible] स्टेशन मेर माण्डवाडा से [illegible] नम्बर [illegible] व 2455 के जरिए खरीद किया [illegible] जनरेटर व कुंए पर डीजल पम्प सेट लगा हुआ है, [illegible]ससे उसे जनरेटर व मोटर चलाने के लिए व स्वयं के वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल व डीजल की आवश्यकता रहती है, जिससे प्रार्थी ने उक्त शिवा फिलिंग स्टेशन मेर माण्डवाडा से डीजल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue......

Scanned with CamScanner

पेट्रोल खरीदकर अपने होटल के पीछे ड्रमों में भर कर रखा था, जिसे पुलिस ने गलत रूप से जब्त किया गया है। प्रार्थी डीजल व पेट्रोल का एक मात्र स्वामी है एवं डीजल व पेट्रोल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा। डीजल व पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल व पेट्रोल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है ।

अतः डीजल व पेट्रोल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा डीजल व पेट्रोल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु होटल के पीछे रखा हुआ था। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से पुलिस द्वारा डीजल व पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल व पेट्रोल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा थाना सिरोही सदर के मुकदमा संख्या 11 दिनांक 21.01.2024 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में डीजल व पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर के एफ आई आर क्रमांक 11 दिनांक 21.01.2024 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्ययन एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि पुलिस द्वारा मण्डार सिरोही राज्य राजमार्ग पर सरहद वाडेली में हनुमान होटल व भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के पीछे हनुमान होटल के संचालक श्री प्रकाश विश्नोई एवं भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के संचालक श्री निखिल पटेल व श्री विक्रमसिंह राजपूत मिलकर संयुक्त रूप से टैंकर चालकों से [illegible] अवैध रूप से बेचने के लिए पेट्रोल व डीजल [illegible] के ड्रमों में डालकर दोनों होट[illegible] अवैध भण्डारण किया गया [illegible] श्री भानुप्रतापसिंह [illegible] जाति राजपूत निवासी वाडेली के घर के बाडे के अन्दर दीवार के सहारे अवैध भण्डारण किए जाने से डीजल व पेट्रोल को कब्जे पुलिस लिया जाकर अग्रिम अनुसन्धान जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue....

Scanned with CamScanner

डीजल व पेट्रोल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं की गई बहस से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए डीजल व पेट्रोल को पुलिस द्वारा हनुमान होटल व भैरव कृपा रेस्टोरेन्ट के पीछे एवं श्री भानुप्रतापसिंह पुत्र श्री कर्मवीरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडेली के घर के बाडे के अन्दर से अलग–अलग जगह से जब्त किया गया है, जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा डीजल व पेट्रोल को कृषि कार्य के लिए होटल के पीछे रखा हुआ था, जिसका बिल शिवा फिलिंग स्टेशन मेर माण्डवाडा सिरोही द्वारा केवल प्रार्थी श्री प्रकाश कुमार के नाम से जारी किया गया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में विरोधाभास प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पुलिस द्वारा कुल 07 ड्रमों में 1400 लीटर पेट्रोल एवं 04 ड्रमों में 800 लीटर डीजल को कब्जे सरकार लिया गया था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा होटल के पीछे कृषि भूमि ठेके पर ली हुई है जहां पर वह कृषि कार्य करता है एवं कृषि कार्य के लिए ही डीजल व पेट्रोल का भण्डारण किया हुआ था, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल व डीजल का भण्डारण कृषि कार्यों के लिए किया हुआ था। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोल व डीजल का भण्डारण अवैध नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण कर बेचने के लिए प्लास्टिक के ड्रमों में डालकर दोनों होटलों के पीछे अवैध रूप से रखा गया था, जिसको प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने से प्रार्थी द्वारा इसे पुनः अवैध रूप से बेचान किया जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में कब्जे सरकार लिए गए पेट्रोल व डीजल को प्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:53 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिवा फिलिंग स्टेशन नया खसरा संख्या 3241 एवं 3242 मेर माण्डवाडा सिरोही द्वारा प्रार्थी को 1400 लीटर पेट्रोल भारी मात्रा में बेचान

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया जाना पाया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि शिवा फिलिंग स्टेशन मेर माण्डवाडा सिरोही द्वारा प्रार्थी को भारी मात्रा में पेट्रोल का बेचान किस प्रकार से किया गया है एवं किस प्रकार के पात्र में किया गया है एवं इनके द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में जांच करें और यदि उल्लघंन किया जाना पाया जाता है इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

चूंकि पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे आग लगने की संभावना है एवं इनका वाष्पीकरण होने से जल्द खराब होने की भी संभावना है। अतः कब्जे सरकार लिए गए कुल 1400 लीटर पेट्रोल एवं 800 लीटर डीजल को जिला रसद अधिकारी सिरोही थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर की मदद से नियमानुसार निस्तारित कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर को निर्देश दिए जाते है कि प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान यथाशीघ्र सम्पन्न किया जाकर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण इस न्यायालय में एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही सदर एवं जिला रसद अधिकारी सिरोही को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:24:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner